

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./...119.....

बिलासपुर, दिनांक 25/01/23

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बिलासपुर जिले के मरवाही एवं बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh द्वारा Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonchi to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) in the State of Chhattisgarh. हेतु क्षेत्रफल-28.811 पंजीयन बाबत।

संदर्भ :- अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़ का पृ.क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-893/30 दिनांक 04.01.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि वन प्रकरण प्रस्ताव में नोडल कार्यालय द्वारा किये गये परीक्षण उपरांत ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पायी गयी कमियों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है :-

ऑनलाईन कमियां :-		
क्र.	कमियां	कार्यवाही
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का चयन मरवाही वनमंडल अंतर्गत है। के.एम. एल. एवं सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरेफरेंसिंग नक्शा चयनित वनमंडल अंतर्गत अपलोड किया जाना था, जो नहीं है। सुधार कर अपलोड किया जावे।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल का चयन मरवाही वनमंडल अंतर्गत किया गया है। मरवाही वनमंडल द्वारा जानकारी ऑनलाईन पर अपलोड की गयी है।
2	मरवाही वनमंडल अंतर्गत फार्म -ए पार्ट-2 के बिंदु क्रमांक 13 (iii एवं iv) Scanned copy of the Georeferenced map and copy of Survey of India Toposheet व.म.अ. द्वारा सत्यापित कर मय क्षेत्रफल विवरण के साथ अपलोड कराया जाना होगा।	मरवाही वनमंडल द्वारा जानकारी अपलोड किया गया है।
3	मरवाही एवं बिलासपुर वनमंडल द्वारा आनलाईन Form A Part-II के कॉलम नं. 5 से लेकर 13 तक के बिंदुओं से संबंधित वचन पत्र/जानकारी को अतिरिक्त जानकारी में आनलाईन अपलोड किया जाना होगा।	बिलासपुर वनमंडल की जानकारी फार्म अ पार्ट II से संबंधित ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।
4	अतिरिक्त जानकारी में सत्यापित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है। डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करावे।	मरवाही वनमंडल द्वारा जानकारी अपलोड किया गया है।
5	अतिरिक्त जानकारी में सत्यापित वृक्ष विदोहन निर्धारित प्रपत्र अपलोड नहीं है। उक्त जानकारी भी आवश्यक है।	बिलासपुर वनमंडल की जानकारी ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।
6	Form A Part-II के कॉलम नं. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land) में मरवाही एवं बिलासपुर वनमंडल द्वारा प्रपत्र-3 अपलोड नहीं किया गया है। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम मय सील तथा दिनांक के साथ अपलोड करावे।	बिलासपुर वनमंडल का प्रपत्र- 03, व.म.अ. महोदय का साईट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
7	कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करावे।	वचन पत्र ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।

D:/MS_Word/Office CCF-18~

356



Scanned with OKEN Scanner

Form A Part-I में Coloum No. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted (i) Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Act 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No वन अधिकार पत्र उक्त कॉलम में भी अपलोड करावें।	आवेदक विभाग से संबंधित।
9 Form A Part-II के कॉलम नं. 8 Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view (v) Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : Yes बिंदु - 10 के तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अनुमोदित पंक्षी संवर्धन योजना अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करावें।	वचन पत्र ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदक द्वारा उनके पत्र क्र./48/तक/रा. रा-45/ दिनांक 09.01.2023 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) नवा रायपुर को अनुमोदित पक्षी संवर्धन योजना के लिये लेख किया है। आवेदक से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
10 Form A Part-II के कॉलम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV)) में मरवाही एवं बिलासपुर द्वारा भाग-2 अपलोड नहीं किया गया है। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम मय सील तथा दिनांक के साथ अपलोड करावें।	ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।
11 सत्यापित टाईम लाईन मुख्य वन संरक्षक एवं वनमं. डलाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। प्रस्ताव में समाहित कर प्रेषित करें।	ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।
12 Cross sectional map of Road both vertical and horizontal and RoW Existing and proposed विवरण मय रोड की लम्बाई एवं चौड़ाई चैनेजवार, पैचवार, (कम्पार्टमेंट/खसरावार) विवरण अपलोड करावें।	ऑनलाईन पर अपलोड कर दिया गया है।

ऑफलाईन कमियां :-

क्र.	कमियां	कार्यवाही
1	तीन प्रतियों में प्रेषित प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक-4 से 11 एवं 13, 14 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। चेक लिस्ट क्र. 14 में मरवाही वनमंडल का हस्ताक्षर है किन्तु आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
2	चेक लिस्ट क्रमांक-15 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
3	चेक लिस्ट क्रमांक-16 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है तथा मरवाही वनमंडल का हस्ताक्षर है किन्तु आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
4	चेक लिस्ट क्रमांक-17 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है एवं वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी का उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो मान्य नहीं है। वनमंडलाधिकारियों का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है। वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
5	चेक लिस्ट क्रमांक-20 एवं 21 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

D:/MS_Word/Office CCF-18

	चेक लिस्ट क्रमांक-26 में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल का पार्ट-2 में नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित नहीं है तथा वनमंडलाधिकारी मरवाही वनमंडल का प्रपत्र-3 संलग्न नहीं है।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
7	चेक लिस्ट क्रमांक-28 एवं 29 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
8	चेक लिस्ट क्रमांक-34 में जिला कलेक्टर, बिलासपुर एवं मरवाही का एफआरए निर्धारित प्रारूप में नहीं है। निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।	आवेदक विभाग का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। जिसे ऑनलाईन पर भी अपलोड किया गया है।
9	चेक लिस्ट क्रमांक-35 में जिला कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो प्रस्तावित राजस्व वन भूमि रकबा के मान से विसंगति परिलक्षित हो रही है। स्पष्ट करें।	जिला कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जोकि प्रस्तावित राजस्व वनभूमि रकबा के अनुरूप है तथा ऑनलाईन पर भी अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है।
10	चेक लिस्ट क्रमांक-36 से 41 में कुछ प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी बिलासपुर का सिल लगाया गया है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित करें।	हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
11	प्रेषित तीनों प्रस्तावों में पृष्ठ क्रमांकों को सही क्रम में अंकित कर प्रेषित करें।	वन प्रकरण प्रस्ताव में पृष्ठ क्रमांकों को सही कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित प्रस्ताव आपकी ओर सादर संप्रेषित है।
सहपत्र :- मूल प्रस्ताव। -

पृ.क्र./तक./...120.....
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छ.ग. नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25/01/23

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)